



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1944 (श०)
(सं० पटना 820) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर, 2022

परिवहन विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2022

सं० 02/शमन-01/2022, परि०-6479—केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-47 के उप नियम (1) (V) (ib) एवं नियम-125H के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा वाहनों में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) एवं आपातकालीन बटन लगाये जाने एवं इसका प्रमाण प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-200 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त के क्रियान्वयन हेतु यह प्रावधानित किया जाता है कि सार्वजनिक सेवा वाहनों में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) एवं आपातकालीन बटन का स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177, 179 एवं धारा-190(2) का उल्लंघन माना जायेगा एवं तदनुसार उक्त धाराओं के तहत विहित शक्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

2. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से।
पंकज कुमार पाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 820-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>